<u>खाद्य – शाखा नीमच</u>

ANNEX-II

A. TASKS TO BE COMPLETED PRIOR TO COMMENCEMENT OF THE ACT

(1) Preparing Manuals

Clause 4(1)(b) of rhe RTI Bill lays down that each public authority shall comile and publish, within 120 days from the eactment of the Act, the following 17 manuaks:

(i) विभाग का संगठन, कार्य एवं कर्त्तव्यों के विवरण –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न/षक्कर/केरोसीन उपलब्ध कराना एवं पेट्रोल/डीजल/गैस की उपलब्धता सुनिष्चित किया जाना ।

(ii) खाद्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यों के विवरण –

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राषन दुकानों का निरीक्षण उपभोक्ताओं को खाद्यान्न/षक्कर/केरोसीन उपलब्ध कराना तथा पेट्रोल/डीजल/केरोसीन/गैस की उपलब्धता बनाये रखना ।

(iii) निर्णय लेने संबंधी कार्यवाही विवरण, निरीक्षण एवं जवाबदेही सहित –

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामग्री की उपलब्धता सुनिष्चित करना एवं निगरानी एवं पेट्रोल/डीजल की शुद्धता की जॅाच एवं एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति सुनिष्चित करना।

(iv) कार्यवाही का संपादन करने बाबत कायदे/नियम –

आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् निर्मित विभिन्न नियंत्रण आदेषों का पालन सुनिष्चित करना।

(v) नियम, अनुदेष, निर्देष, नियमावली, एवं अभिलेख जो विभाग नियंत्रण में है अथवा विभाग कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के संपादन में प्रयोग किया जा रहा है –

जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में विधि शाखा अंतर्गत पेट्रोल/डीजल/गैस, कन्ट्रोल आर्डर आदि अभिलेखों का संधारण नियमानुसार किया जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा अपने जांच कार्यों के दौरान उसका प्रयोग किया जा रहा है ।

(vi) कागजात/दस्तावेज की श्रेणी, सूची जो विभाग के नियंत्रण में हो –

खाद्य विभाग के नियंत्रण में निम्नानुसार कन्ट्रोल आर्डर प्रभावषील हैं –

1. सार्वजनिक नागरिक पूर्ति वितरण स्कीम–1991
2. म.प्र. मोटर स्पिरिट तथा डीजल आईल अनुज्ञापन आदेष, 1980
3. म.प्र. केरोसीन (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेष ,1979
4. द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियम आदेष , 2000
5. केरोसीन उपयोग पर निर्बंधन तथा अधिकतम कीमत नियतन आदेष ,1993

(vii) किसी भी ऐसी व्यवस्था या प्रबंधन का विवरण जो सलाह/मषवरा के लिये हो अथवा जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व जो इसके नीति या प्रषासन में सहायक हो –

विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं है ।

(viii) बोर्ड, काउन्सिल, कमिटी या दूसरे इस प्रकार की कार्यवाही जिसमें दो यो दो से अधिक व्यक्ति हो जो इसके परामर्ष देने बाबत गठित हो और क्या इन बोर्ड, काउन्सिल, कमिटियों और दूसरी इस प्रकार की कार्यवाहियॉ जो जनता के लिये पारदर्षी हो या जनता स्वयं उन बैठकों में शामिल हो सकती हो –

जनता को सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिला/विकासखण्ड एवं दुकान स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है । जिसमें प्रतिमाह शासन निर्देषानुसार नियमित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है । प्रत्येक समिति में दो–दो जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है ।

(ix) खाद्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देषिका –

कार्यालय में निम्नानुसार अधिकारीगण कार्यरत हैं –

1.	श्री अजीतकुमार कुजूर,	सहायक आपूर्ति अधिकारी
2.	श्री आर.एन. दिवाकर,	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
3.	कु. विद्यावती परते,	सहायक ग्रेड–दो
4.	श्री रामरतन वडेरा,	सहायक ग्रेड–तीन
5.	श्री शम्भूलाल जाट	भृत्य

(x) खाद्य विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारियों के मासिक वेतन, भत्ते जिसमें क्षतिपूर्ति संबंधी विवरण भी शामिल हो, जो इसके अनुदेष के तहत् हो –

	नाम अधिकारी/कर्मचारी	वेतनमान	वेतन/मंह.वेतन/मंह.भत्ता
1.	श्री अजीतकुमार कुजूर,	4500.125.7000	612530634318
2.	श्री आर.एन. दिवाकर,	4000.100.6000	450022503173
3.	कु. विद्यावती परते,	4000.100.6000	450022503173
4.	श्री रामरतन वडेरा,	3050.75.4500	342517132415
5.	श्री शम्भूलाल जाट	2550.3200	380019002679

(xi) खाद्य विभाग के प्रत्येक अंग (एजेंसी) के लिये आबंटित बजट जिसमें समस्त योजनाओं के विवरण हो ! प्रस्तावित वास्तविक व्यय संबंधी जानकारी भी –

वित्तीय वर्ष 2008–09 में योजनावार आबंटन प्राप्त नहीं होने से जानकारी निरंक है ।

	योजना का नाम	प्रस्तावित खर्च	आवंटन	व्यय
1.	गोडाउन ग्रिड योजना	निरंक	निरंक	निरंक
2.	केरोसीन ड्रम/कंटेनर	निरंक	निरंक	निरंक

(xii) अनुदान प्रोग्राम के क्रियान्वयन का तरीका जिसमें इस बाबत आवंटित राषि, इस अनुसार प्रोग्रामों के तहत् लाभांवित लोगों की जानकारी –

1. जिले में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ अप्रैल–08 से हुआ है । इस योजना के तहत गेहूँ 3रू.प्रतिकिलो एवं चांवल 4. 50रू. प्रतिकिलो की दर से बीपीएल के 79924 राषनकार्ड उपभोक्ताओं को 20 किलो खाद्यान्न प्रतिकार्ड/प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है ।
2. जिले में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 12762 राषनकार्ड उपभोक्ताओं को गेहॅं 2/– रूपये प्रतिकिलो एवं चांवल 3/– रूपये प्रतिकिलो की दर से 35 किलो खाद्यान्न प्रतिकार्ड/प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जाता है ।

(xIii) खाद्य विभाग द्वारा प्रदत्त कनषेसन, परमिट या अन्य लाभ की जानकारी, जिन्हें प्राप्त हुई है –

विभाग में परमिट/कनषेसन आदि संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है ।

(xiv) सूचना संबंधी जानकारी जो इसके पास है या प्रदाय कराई गई, इसे बहुत छोटे इलेक्ट्रानिक प्रारूप में रखा जावे –

कार्यालय की विधि शाखा में सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया गया है ।

(xv) सूचना प्राप्त करने के लिये जनता को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के खुले रहने का समय भी हो, अगर जनता के लिये हो तो –

कार्यालय में जनता के लिये पुस्तकालय या वाचनालय की व्यवस्था नहीं है ।

(xvi) जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदवी और दूसरी जानकारियॉ –

नागरिकों को सूचना देने एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने हेतु श्री अजीत कुमार कुजूर, सहायक आपूर्ति अधिकारी (प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी) नीमच को अधिकृत किया गया है ।

(xvii) दूसरी अन्य आवष्यक जानकारियॉ –

सूचना के अधिकार के तहत् पटल प्रदर्षित कर आवष्यक दिषा निर्देष जारी किये गये हैं ।

हस्ता/–
जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला–नीमच म.प्र.